छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 567/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/01/2022

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक**
2. **समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक**

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड–19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश।

––00––

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड–19 के बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **4 प्रतिशत और उससे अधिक कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिलों के लिए :–**

1.1 रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर–व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक/प्रतिबंध के लिए धारा 144/महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी किया जाए।

1.2 स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले–स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी।

1.3 सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों को बंद किया जाए।

2. **सभी जिलों के लिए (पॉजिटिविटी दर पर ध्यान दिए बिना) :–**

2.1 सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजानिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्योंष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध हेतु धारा 144/महामारी अधिनियम, अंतर्गत आदेश आवश्यकतानुसार जारी करें।

2.2 अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल संचालनकर्ता, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर संचालनकर्ता, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैंनेजमेंट ग्रुप आदि क्षेत्रों से जुड़े संगठन प्रतिनिधियों की बैठकें ली जाए। इन स्थानों पर उपस्थिति अधिकतम एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें, और अगर सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत से उपर होती है तो इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

2.3 राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सभी आने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय से 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों के आगमन पर उनका अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर होना चाहिए।

2.4 राज्य की सड़क सीमाओं और सभी रेल्वे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग की जाए।

2.5 जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी–कंटेनमेंट जोन बनाए जाए।

2.6 सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करें।

Scanned with CamScanner

2.7 मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के द्वारा सख्त चालानी कार्यवाई की जाए।

2.8 बैठकों के लिए विडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

2.9 सरकारी अधिकारियों को हवाई यात्रा या भीड़–भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा किया जाना बिल्कुल अपरिहार्य न हो।

2.10 शासन के निर्देशों का उद्देश्य कोविड संक्रमण के प्रसार और इसके जोखिमों को नियंत्रित किया जाना है परंतु अर्थव्यवस्था को धीमा करने का नहीं है।

3/ जिन जिलो में पॉजिटिविटी 4 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सरल क्रमांक–1 में विवरण अनुसार प्रतिबंध लगाये जाते है उनमें लगातार सात दिनों तक पॉजिटिविटी 4 प्रतिशत से कम होने पर कलेक्टर उन प्रतिबंधों को हटा सकेंगे।

4/ छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/स.सा.प्र.वि./2021 दिनांक 30/12/2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति एवं 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थिति होने पर जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति की अनिवार्यता के निर्देश यथावत लागू रहेगे।

5/ उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांकः– 567–A /स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन विभाग,
4. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
5. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
7. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
9. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
12. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,

Scanned with CamScanner

13. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,

14. समस्त विभागाध्यक्ष,

15. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,

16. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा

17. संचालक, एयरपोर्ट रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर,

18. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,

19. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,

20. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner